



Prasar Bharati प्रसार भारती
India's Public Service Broadcaster भारतीय प्रसारण निगम
High Power Transmitter उच्च शक्ति प्रेषित्र
All India Radio - Malad(W) आकाशवाणी मालाड प
Mumbai - 400 095 मुंबई 95

E-mail : hptairmalad@gmail.com

सं-मलाड 29 (2)/2020-21/जी - 113

दि. 05/10/2020

टेंडर नोटिस

दि-01-11-2020 से 31-10-2021 अवधि तक ताडफल निकालने के लिए मोहरबंद लिफाफे में टेंडर आमंत्रित किया जाता है। एचपीटी आकाशवाणी परिसर में लगभग 150 से अधिक ताडफलों के वृक्ष स्थित हैं। ताडफल खरीदी के लिए शुल्क के साथ टेंडर अधोहस्ताक्षरी के नाम भेजें उपरोक्त करार के लिए निविदाकार को रु. 1000- (रुपये एक हजार केवल) की धनराशि का डीमाण्ड ड्राफ्ट प्रसार भारती एचपीटी आकाशवाणी मालाड के नाम जमा करना होगा। बयाना की राशि का डीमाण्ड ड्राफ्ट उन सभी निविदाकार को लौटा दी जाएगा जिनकी निविदा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अस्वीकृत किया हो। कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15-10-2020 और दि. 15-10-2020 को शाम 03-30 बजे उपस्थित होने इच्छुक उन निविदाकारों की उपस्थिति में टेंडर खोला जाएगा। धनराशि यदि संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसी समय टेंडर की राशि बातचीत से तय किया जाएगा। सफल निविदाकार को करार प्राप्ति के पश्चात 3 दिन के भीतर तुरंत संपूर्ण धनराशि अदा करनी होगी, अन्यथा उनका टेंडर अस्वीकृत किया जाएगा और वे बयाना की राशि खो देंगे और अगले उच्च निविदाकार को अथवा कार्याध्यक्ष द्वारा निर्णित निविदाकार को निविदा करार दिया जाएगा। सफल निविदाकार सरकारी सम्पत्ती और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाए बिना ताडफल निकालने एवं आकाशवाणी परिसर से बाहर ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था स्वयं के खर्च/स्वयं की जिम्मेदारी पर करनी होगी। इस कार्यालय को कार्मिक का नाम पता सूचित करने के साथ कार्मिक का अपेक्षित पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। बिना किसी कारण कोई भी टेंडर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार कार्याध्यक्ष को है।

ट्रान्समीटर्स एरियल क्षेत्र में स्थित ताडवृक्ष से ताडफळ निकालने हेतु एरियल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(आर.ए.चोरे)

उप निदेशक अभि
कृते उपमहानिदेशक अभियांत्रिकी

निबंधन तथा शर्तें

1. दि 30-09-2021 के पूर्व ताड के वृक्ष से ताडफळ निकालकर एचपीटी आकाशवाणी मलाड प परिसर से बाहर ले जाना और ताडफळ निकालने की अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी व्यक्ति को ताडफळ निकालने हेतु आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी) के आदेश का उचित एवं कडा अनुपालन हो जिसमें किसी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विधिवत् हस्तक्षेप न हो। पुलिस सत्यापन के आधार पर इस कार्यालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिन श्रमिकों को प्रवेश पत्र जारी किया हो इनके अलावा ठेकेदार किसी भी अनधिकृत/अज्ञान व्यक्तियों को आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने न दें।
3. सरकारी संपत्ती या आकाशवाणी परिसर में संस्थापित संपत्ती को लापरवाही से नुकसान पहुँचाने पर नुकसान भरपाई का निर्धारण उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी) करेंगे।
4. अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार है कि निबंधन तथा शर्तों के अनुशासन का उल्लंघन करने पर तथा सार्वजनिक सेवाहित में यदि आवश्यकता पडने पर किसी भी वक्त निविदा करार को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए ठेकेदार को इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि निविदा अवधि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दर्शाए गए निबंधन तथा शर्तों का कडा अनुपालन करें। किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के मामलों में उपमहानिदेशक (अभियांत्रिकी) का निर्णय अंतिम रहेगा।
5. ताडफळ निकालने के दौरान यदि किसी मजदूर को कोई भी नुकसान या दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यह कार्यालय किसी भी दुर्घटना हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।



(आर.ए.चोरे)

उप निदेशक अभि

कृते उपमहानिदेशक अभियांत्रिकी